कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 56 राँची : 30/1/2026

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा परिवेश 1.0 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् सिमडेगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत 132 के0भी0 डी0/सी0 कोलेबिरा–सिमडेगा ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 22.6036 हे0 वनभूमि अपयोजन की स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 32 दिनांक 08.01.2026

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा परिवेश 1.0 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् सिमडेगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत 132 के0भी0 डी0/सी0 कोलेबिरा–सिमडेगा ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 22.6036 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तावित किया गया है। उक्त वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के पत्रांक 32 दिनांक 08.01.2026 ऑनलाईन एवं हॉर्ड कॉपी में समर्पित किया गया है। प्राप्त विषयक परियोजना की ट्रान्समिशन लाईन सिमडेगा वन प्रमंडल के अन्तर्गत से होकर गुजरेगी। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का रकबा निम्नवत् है :–

क्रमांक	वन प्रमण्डल का नाम	प्रस्तावित वनभूमि का रकबा (हे0 में)		प्रस्तावित गैर–वनभूमि का रकबा(हे0 में)
		सुरक्षित वनभूमि	जंगल–झाड़ी भूमि	
1.	सिमडेगा वन प्रमण्डल	5.9474	16.6562	21.7304 हे0
	कुल –	22.6036 हे0		21.7304 हे0

1. प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल–44.3340 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 22.6036 हे0 वनभूमि एवं 21.7304 हे0 गैर वनभूमि सन्निहित है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में Form-A Part-I में आवेदन online समर्पित किया गया है, जिसकी Hard Copy संलग्न फोल्डर पर रक्षित है।

Sanjiv 30/01/2026

3. ऑनलाईन प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे0 में)	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व	इको–क्लास
1	सिमडेगा	5.9474	16.6562	22.6036	0.4	3
कुल–		5.9474	16.6562	22.6036		

4. विहित प्रपत्र– पार्ट–I में वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का Villages wise breakup दर्शाया गया है।
5. विहित प्रपत्र– पार्ट–I में वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का Component wise breakup दर्शाया गया है।
6. ऑनलाईन प्रस्ताव में Authorisation letter अपलोड किया गया है।
7. ऑनलाईन प्रस्ताव में Justification अपलोड किया गया है।
8. ऑनलाईन प्रस्ताव में KML अपलोड किया गया है।
9. ऑनलाईन प्रस्ताव में वनभूमि एवं गैर–वनभूमि का Authenticated Land schedule अपलोड किया गया है।
10. ऑनलाईन प्रस्ताव में 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप अपलोड किया गया है।
11. ऑनलाईन प्रस्ताव में Geo Referenced Map अपलोड किया गया है।
12. ऑनलाईन प्रस्ताव में मौजा मैप में प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए मैप प्रस्ताव के अपलोड किया गया है।
13. ऑनलाईन प्रस्ताव में Alternative routes with comparison topo location map अपलोड किया गया है।
14. ऑनलाईन प्रस्ताव में Cost-Benefit analysis अपलोड किया गया है।
15. ऑनलाईन प्रस्ताव में FRA, Act,2006 के तहत् वनभूमि एवं जंगल–झाड़ी वनभूमि का संबंधित उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है। ऑनलाईन प्रस्ताव में जंगल–झाड़ी वनभूमि का संबंधित उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है।
16. ऑनलाईन प्रस्ताव में Undertaking regarding non violation of FC Act अपलोड किया गया है।
17. ऑनलाईन प्रस्ताव में Undertaking in respect of NPV, Addl NPV, CA अपलोड किया गया है।
18. ऑनलाईन प्रस्ताव में Certificate for Minimum Use of Forest Land अपलोड किया गया है।
19. ऑनलाईन प्रस्ताब में Undertaking for non violation of forest conservation Act, 1980 अपलोड किया गया है।
20. ऑनलाईन प्रस्ताव में Certificate for catchments area treatment plan अपलोड किया गया है।
21. ऑनलाईन प्रस्ताव में विहित प्रपत्र– पार्ट–II में सिमडेगा वन प्रमंडल एवं Part-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला की अनुशंसा अपलोड किया गया है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण भी अपलोड किया गया है।
22. ऑनलाईन प्रस्ताव में ट्रांसमिशन लाईन संरेखन में पड़ने वाली वृक्षों की गणना सूची विहित प्रपत्र–I में अपलोड किया गया है। विहित प्रपत्र–पार्ट–II के अनुसार प्रभावित होने वाली कुल वृक्षों की संख्या–3537 अंकित किया गया है।
23. ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट–II की कंडिका–6 में सिमडेगा वन प्रमण्डल द्वारा अंकित किया गया है कि "The proposed forest area is undulating, that is why it is slightly to moderately prone to soil erosion."

24.ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित सिमडेगा वन प्रमण्डल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है।

25.ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित सिमडेगा वन प्रमण्डल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं हाथी गलियारा एवं वन्यजीव प्रवास गलियारा आदि के 1 कि0मी0 के भीतर अवस्थित नहीं है।

26.ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित सिमडेगा वन प्रमण्डल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि बीरू और भावरपहाड़ गॉव पालकोट वन्यजीव अभ्यारण के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के अन्तर्गत पाई जाती है।

27.ऑनलाईन प्रस्ताव में संबंधित सिमडेगा वन प्रमण्डल के विहित Form-A (Part-II) के सूचना के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में वनस्पतियों एवं जीवों का दुर्लभ/लुप्तप्राय/अद्‌वितीय प्रजाति पाई जाती है।

28.इस परियोजना प्रस्ताव का CWLW का मंतव्य अप्राप्त है। इस हेतु प्रस्ताव की एक प्रति के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची भेजी जा रही है। मतव्य प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

29.प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु 22.6036 हे0 अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण के लिये दो गुणा वनभूमि 45.2072 हे0 चिन्हित किया गया है। विवरण निम्नवत् है :–

Name of division	Village/Mouza	Thana/No	Range	Name of PF/RF/Other	Khasra No.	Area
Gumla Forest Division	Kacchapara	Ghaghra/ 119	Bisunpur	Kacchapara	622 & 574	45.2072 ha

साथ ही चिन्हित क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र का नक्शा, संबंधित वन प्रमण्डल पदा0 का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलित योजना, KML एवं georeferenced map अपलोड किया गया है।

30. ऑनलाईन वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव हेतु संबंधित वन प्रमण्डल पदा0, सिमडेगा एवं वन संरक्षक, गुमला का अनुशंसा (Recommendation) अपलोड किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला से प्राप्त ऑनलाईन संशोधित प्रस्ताव की पार्ट–IV भरकर प्रस्ताव की तीन–तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

Sanjiv 30/01/2026

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

D:\Amit\Transmission Line\FP JH TRANSH 150631 2021\Letter Kolebira - Simdega TL 22.6036 ha.docx

<u>PART –IV</u>

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

132 KV D/C Kolebira Simdega Transmission Line 22.6036 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 22.6036 ha of Forest land.

Date :-

Place :- Ranchi

Signature

20/01/2026

(Sanjeev Kumar)
Nodal Officer
Name & Designation

PCCF-Cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand, Ranchi

(138)

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

LiFE Lifestyle for Environment

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cfgumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-469592

पत्रांक 32 / दिनांक 08/01/2026 /

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– कोलेबिरा–सिमडेगा तक 132 के0वी0 / डी0सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव संख्या–FP/JH/TRANS/150631/2021 के संबंध में।

प्रसंग :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा का पत्रांक 2707 दिनांक 26.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा ने अपने पत्रांक 2707 दिनांक 26.12.2025 द्वारा विषयांकित परियोजना हेतु सिमडेगा वन प्रमण्डल के अन्तर्गत कुल– 22.6036 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा द्वारा प्रस्ताव के साथ Part -II स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, अपना अनुशंसा तथा संगत अभिलेख इस कार्यालय को समर्पित किया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.01.2026 को अपयोजन हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया है। Part -III में अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य एवं अनुशंसा अंकित कर दिये गये है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा Part-III प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा ने अपने पत्रांक 2707 दिनांक 26.12.2025 द्वारा समर्पित प्रस्ताव 05 प्रतियों में निम्नलिखित अभिलेखों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न समर्पित की जा रही है :–

1. यह प्रस्ताव सिमडेगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत सुरक्षित वनभूमि –5.9474 हे0 तथा जंगल झाड़ी भूमि– 16.6562 हे0 (कुल– 22.6036 हे0) हेतु समर्पित है, जिसका विस्तृत विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

2. प्रस्ताव से संबंधित 1:50000 वाले टोपो शीट मानचित्र एवं कैडेस्ट्रल मैप पर लोकेशन चिन्हित संलग्न है।

3. अपयोजित होने वाली वनभूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवश्यक राशि तथा NPV राशि वहन किये जाने संबंधी Undertaking प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4. परियोजना में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल झाड़ी सहित) में कुल– 3537 वृक्ष प्रभावित होंगे। वृक्षों की गणना/मापी सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गुमला वन प्रमण्डल अन्तर्गत स्थल का चयन किया गया है। चयनित स्थल का चिन्हित नक्शा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. उपायुक्त, सिमडेगा द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र एवं जंगल झाड़ी भूमि संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. परियोजना के लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाली वनभूमि का विवरणी संलग्न है।

9. वन प्रमण्डल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

10. वन प्रमण्डल पदाधिकारी का विशिष्ट सिफारिश/अनुशंसा संलग्न है।

11. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, अनुशंसा एवं Part III संलग्न है।

अनु :– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

08/01/2016

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।